

PUBLIC NOTICE NO. 06/2024 DATED:-15-05-2024

सार्वजनिक सूचना संख्या 06/2024 दिनांक:-15-05-2024

Sub.: Launch of functionalities/features on Customs Brokers Licensing Management System (CBLMS)/ विषय: कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग मैनेजमेंट सिस्टम (सीबीएलएमएस) पर कार्यात्मकता/विशेषताओं का शुभारंभ

Attention of all the Customs Brokers and other stakeholders working in Jodhpur(Prev.) under CBLR, 2018 or its erstwhile regulations, is invited to the launched functionalities of Customs Brokers Licensing Management System(CBLMS) online portal(<https://cblms.gov.in>).

सीबीएलएमएस, 2018 या इसके पूर्ववर्ती नियमों के तहत जोधपुर (निवारक) में काम करने वाले सभी कस्टम ब्रोकर्स और अन्य हितधारकों का ध्यान कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग मैनेजमेंट सिस्टम (सीबीएलएमएस) ऑनलाइन पोर्टल (<https://cblms.gov.in>) की लॉन्च की गई कार्यक्षमताओं की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. You are aware that CBLMS portal has been live since 30th September 2022. Since then, around 4300 Customs Brokers have been on boarded in CBLMS. CBLMS portal is being widely used for processing of various applications like license only, F Category Exam and License, G-category Exam, Reconstitution, Change in Security, Renewal of Invalid License, Surrender of CB License, Change Partner/Director, Intimation-under-Form-C, Authorised Person Replacement, Cancellation of Customs Pass, Existing CB Profile, Issuance of Custom Pass Renewal of Custom Pass. 11 Policy sections have conducted G category examination using CBLMS portal which includes management of examination venues, time slots and admit cards of applicants. 02 Policy section are in process of conduction G category examination using CBLMS. More than 34500 applications have been filed by various Customs Brokers all over India.

आप जानते हैं कि सीबीएलएमएस पोर्टल 30 सितम्बर 2022 से लाइव है। तब से, लगभग 4300 कस्टम ब्रोकर सीबीएलएमएस से जुड़ चुके हैं। सीबीएलएमएस पोर्टल का उपयोग केवल लाइसेंस जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है। एफ श्रेणी परीक्षा और लाइसेंस, जी-श्रेणी परीक्षा, पुनर्गठन, सुरक्षा में परिवर्तन, अमान्य लाइसेंस का नवीनीकरण, सीबी लाइसेंस का समर्पण, साझेदार/निदेशक में परिवर्तन, फॉर्म-सी के तहत सूचना, प्राधिकृत व्यक्ति प्रतिस्थापन, कस्टम पास को रद्द करना, मौजूदा सीबी प्रोफाइल, कस्टम पास जारी करना, कस्टम पास का नवीनीकरण। 11 नीति अनुभागों ने सीबीएलएमएस पोर्टल का उपयोग करके जी श्रेणी की परीक्षा आयोजित की है जिसमें परीक्षा स्थल, निर्धारित समय और आवेदकों के प्रवेश पत्रों का प्रबंधन शामिल है।

3. More features and functionalities are being added in CBLMS regularly for the benefit of all the stakeholders of CBLMS. In this regard, it is informed that the following features have been made live in CBLMS portal for all the policy sections across India.

सीबीएलएमएस के सभी हितधारकों के लाभ के लिए सीबीएलएमएस में नियमित रूप से अधिक सुविधाएँ और कार्यक्षमताएँ जोड़ी जा रही हैं। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि पूरे भारत में सभी नीति अनुभागों के लिए सीबीएलएमएस पोर्टल में निम्नलिखित सुविधाएँ लाइव कर दी गई हैं।

I. Application for continuation of License after Death of Proprietor Pt.1 and Pt.2:

Regulation 12 of CBLR 2018 provides that in case of death of Proprietor, his/her legal heir, who is a major and a G card holder may be permitted to work as a Customs Broker with the approval of the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs. Application for such legal heir to get permission to work as Customs Broker has been divided in two parts. The first part of the application, "Application for Continuation of License after Death of Proprietor Pt.1," can be submitted by the legal heir of the proprietor for providing his/her eligibility under Reg. 12 of the CBLR,2018 after registering himself/herself on CBLMS. On approval of application the legal heir will be given access to the CBLMS account of the concerned Customs Broker. After getting access to account, the proven legal heir can use second application, "Application for Continuation of License after Death of Proprietor Pt.2," available in the Customs Broker account to submit all the remaining details required for continuation of Customs Broker work.

मालिक की मृत्यु के बाद लाइसेंस जारी रखने के लिए आवेदन भाग 1 और भाग 2: सीबीएलआर 2018 के नियमन 12 में यह प्रावधान है कि मालिक की मृत्यु की स्थिति में उसके कानूनी उत्तराधिकारी, जो वयस्क है और जी कार्ड धारक है, को प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क के अनुमोदन से कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम करने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे कानूनी उत्तराधिकारी को कस्टम्स ब्रोकर के रूप में काम करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन को दो भागों में विभाजित किया गया है। आवेदन का पहला भाग, "मालिक की मृत्यु के बाद लाइसेंस जारी रखने के लिए आवेदन भाग I", मालिक के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा सीबीएलएमएस पर स्वयं को पंजीकृत करने के बाद सीबीएलआर, 2018 के विनियम 12 के तहत अपनी पात्रता प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन के अनुमोदन पर कानूनी उत्तराधिकारी को संबंधित कस्टम्स ब्रोकर के सीबीएलएमएस खाते तक पहुंच दी जाएगी। खाते तक पहुंच प्राप्त करने के बाद, प्रमाणित कानूनी उत्तराधिकारी कस्टम्स ब्रोकर कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सभी शेष विवरण प्रस्तुत करने के लिए कस्टम्स ब्रोकर खाते में उपलब्ध दूसरे आवेदन, "मालिक की मृत्यु के बाद लाइसेंस जारी रखने के लिए आवेदन भाग 2" का उपयोग कर सकता है।

I. Offence Module: In addition to processing of various applications, CBLMS also provides functionalities for processing offence cases under CBLR, 2018 i.r.o Customs Brokers. A comprehensive offence module to process and manage Offence Reports. Offence Case files, inquiry etc. i.r.o of CBs has been added to the CBLMS. This module will facilitate Policy Section, Inquiry Officers and Customs brokers in faster disposal of offence cases. It provides following benefits for Customs Brokers:

- A dedicated section "Offence Matters" has been created for Customs Brokers in their CBLMS account which will show all the information related to their Offence matters under CBLR, 2018.
- Customs Brokers can view their Show Cause Notices, Orders, letters etc., send their submissions/reply to policy sections or Inquiry Officers, view their scheduled Personal Hearing (PH), accept personal hearing(PH) or request for rescheduling of personal hearings (PH).
- Customs Brokers may also receive all relevant notifications related to their

offence matters on CBLMS.

- Penalties can be paid online.
- History of offence cases with all detail is always available at one place.

अपराध मॉड्यूल: विभिन्न आवेदनों के प्रसंस्करण के अतिरिक्त, सीबीएलएमएस कस्टम्स ब्रोकर्स के संबंध में सीबीएलआर, 2018 के तहत अपराध मामलों के प्रसंस्करण के लिए कार्यक्षमता भी प्रदान करता है। अपराध रिपोर्टों को संसाधित करने और प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक अपराध मॉड्यूल है। कस्टम्स ब्रोकर्स के संबंध में अपराध मामलों की फाइलें, जांच आदि सीबीएलएमएस में जोड़ी गई है। यह मॉड्यूल नीति अनुभाग, जांच अधिकारियों और कस्टम्स ब्रोकर्स को अपराध मामलों के तेजी से निपटान में सुविधा प्रदान करेगा। यह कस्टम्स ब्रोकर्स के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

- कस्टम्स ब्रोकर्स के लिए उनके सीबीएलएमएस खाते में एक समर्पित अनुभाग "अपराध मामले" बनाया गया है, जो सीबीएलआर, 2018 के तहत उनके अपराध मामलों से संबंधित सभी जानकारी दर्शाएगा।
- कस्टम्स ब्रोकर्स अपने कारण बताओ नोटिस, आदेश, पत्र आदि देख सकते हैं, नीति अनुभागों या जांच अधिकारियों को अपने प्रस्तुतीकरण/उत्तर भेज सकते हैं, अपनी निर्धारित व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) देख सकते हैं, व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) स्वीकार कर सकते हैं या व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) के पुनर्निर्धारण के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
- कस्टम्स ब्रोकर भी अपने अपराध मामलों से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचनाएं सीबीएलएमएस पर प्राप्त कर सकते हैं।
- अर्थदण्ड ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
- अपराध मामलों का इतिहास सभी विवरणों के साथ हमेशा एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है।

III. **Applications for modification in present CB Profile/ वर्तमान सीबी प्रोफाइल में संशोधन के लिए आवेदन:**

- Application to modify CB/Person details:** In the CB profile there are many fields which are not mandatory viz. GSTIN & GSTIN Proof, PAN of H-Catg. Customs Pass holder etc. Similarly, the Membership of Association certificate is also not mandatory at the time of filling of applications for New Licenses or Intimation in Form C and at times Customs brokers also require to update CB Profile data i.r.o. registered mobile no., registered email id or contact details of Customs Broker's on-boarded persons i.e. Proprietor/Partner(s)/Director(s)/Employee(s). For these purpose, an application with name "Application to modify CB/Person details" has been created. Using this application, Customs Brokers can submit the request for changes in such data in CB Profile, both i.r.o. its parent Policy Section and Other Policy Section.

सीबी/व्यक्तिगत विवरण संशोधित करने के लिए आवेदन: सीबी प्रोफाइल में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अनिवार्य नहीं हैं जैसे जीएसटीआईएन और जीएसटीआईएन प्रमाण, एच श्रेणी का पैन, सीमा शुल्क पास आदि। इसी तरह, नए लाइसेंस के लिए आवेदन भरते समय या फॉर्म सी में सूचना देते समय संगठन का सदस्यता प्रमाण पत्र भी अनिवार्य नहीं है और कई बार कस्टम्स ब्रोकर्स को सीबी प्रोफाइल डेटा को कस्टम्स ब्रोकर के ऑन-बोर्डेड व्यक्तियों अर्थात् मालिक/भागीदार(भागीदारों)/निदेशक/कर्मचारी(कर्मचारियों) के पंजीकृत मोबाइल नंबर, पंजीकृत ईमेल आईडी या संपर्क विवरण के बारे में भी अपडेट करने की जरूरत होती है। इन उद्देश्यों के लिए, "सीबी/व्यक्ति विवरण संशोधित करने के लिए आवेदन" नाम से एक आवेदन बनाया गया है। इस आवेदन का उपयोग करके, कस्टम्स ब्रोकर सीबी प्रोफाइल में ऐसे डेटा में बदलाव के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

- Application to modify Addresses:** Using this application Customs Brokers can request for addition/deletion/modification in their correspondence address as mandated under Reg. 10(o) of the CBLR, 2018.

पते में संशोधन के लिए आवेदन: इस आवेदन का उपयोग करके कस्टम्स ब्रोकर सीबीएलआर, 2018

के विनियम 10(o) के तहत अनिवार्य रूप से अपने पत्राचार पते में वृद्धि/हटाने/संशोधन के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

- iii. **Application for Adding OPS Details & Employees of Existing CB:** This application can be used by pre-existing Customs Brokers i.e. who were not issued license through /CBLMS to add details in respect of Other Policy Section and employees working under them. All such Customs Brokers, who have not filled this application, are requested to fill the details in CBLMS portal using this applications.

ओपीएस विवरण और मौजूदा सीबी के कर्मचारियों को जोड़ने के लिए आवेदन: इस आवेदन का उपयोग पहले से मौजूद कस्टम ब्रोकर्स द्वारा किया जा सकता है, अर्थात् जिन्हें CBLMS के माध्यम से लाइसेंस जारी नहीं किया गया था, वे अन्य पॉलिसी अनुभाग और उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में विवरण जोड़ने के लिए। ऐसे सभी कस्टम ब्रोकर्स, जिन्होंने यह आवेदन नहीं भरा है, उनसे अनुरोध है कि वे इस एप्लिकेशन का उपयोग करके CBLMS पोर्टल में विवरण भरें।

4. Apart from above major features, following enhancements have also been made in CBLMS/ उपरोक्त प्रमुख विशेषताओं के अतिरिक्त, सीबीएलएमएस में निम्नलिखित संवर्द्धन भी किए गए हैं:

- i. **My Profile:** The Customs Brokers can now view their Complete CB Profile by clicking on the 'My Profile' link available in their account on the top right side of the top right side of the screen and check the updated status of their profiles.

मेरी प्रोफाइल: कस्टम ब्रोकर अब स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर अपने खाते में उपलब्ध 'मेरा प्रोफाइल' लिंक पर क्लिक करके अपना पूरा सीबी प्रोफाइल देख सकते हैं और अपने प्रोफाइल की अद्यतन स्थिति की जांच कर सकते हैं।

- ii. **NOC:** The mechanism to seek NOCs/Information i.r.o Customs Brokers or their employees from various Policy section has been incorporated in CBLMS thereby eliminating the requirement of NOCs in physical mode.

अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी): कस्टम ब्रोकर्स या उनके कर्मचारियों के लिए विभिन्न नीति अनुभागों से एनओसी/सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था को सीबीएलएमएस में शामिल किया गया है, जिससे भौतिक रूप में अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

- iv. **Issue Document:** It has been observed that there are many instances where a Customs Broker requires a signed letter, notice etc. from Policy Section. They need this to present to various authorities associated with Customs clearance work e.g. many ports under various Customs Stations follow a practice wherein they allow entry of the Customs Broker working under Reg.7(3) of the CBLR, 2018 inside the port only on the submission of the notice issued by the competent authority to that effect. Therefore, to address such instances under all plausible matters, a new feature "Issue Document" has been added in CBLMS using which a Policy Section Officer can upload and issue a requisite notice or letter or any other relevant document as per practice on approval of the application. This document will be instantly available to the Customs Broker for download in its account.

जारी दस्तावेज: यह देखा गया है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक कस्टम ब्रोकर को पॉलिसी सेक्शन से हस्ताक्षरित


पत्र, नोटिस आदि की आवश्यकता होती है। उन्हें कस्टम्स क्लियरेंस कार्य से जुड़े विभिन्न अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, विभिन्न कस्टम्स स्टेशनों के अंतर्गत कई बंदरगाह एक ऐसी प्रथा का पालन करते हैं, जिसमें वे सीबीएलआर, 2018 के विनियम 7(3) के तहत काम करने वाले कस्टम्स ब्रोकर को बंदरगाह के अंदर केवल तभी प्रवेश की अनुमति देते हैं, जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस आशय का नोटिस जारी किया जाता है। इसलिए, सभी संभावित मामलों के तहत ऐसे उदाहरणों को संबोधित करने के लिए, सीबीएलएमएस में एक नई सुविधा “जारी दस्तावेज” जोड़ी गई है, जिसका उपयोग करके एक नीति अनुभाष अधिकारी आवेदन के अनुमोदन पर अभ्यास के अनुसार अपेक्षित नोटिस या पत्र या कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड और जारी कर सकता है। यह दस्तावेज कस्टम्स ब्रोकर को अपने खाते में डाउनलोड करने के लिए तुरंत उपलब्ध होगा।


- v. **Search CB:** A new feature Search CB has been provided for public use on the homepage of the CBLMS portal wherein anyone can search any Customs Broker using its name or PAN and see basic details like CB Name, Offices, Area of Operation and its latest working status.

सर्च सीबी: सीबीएलएमएस पोर्टल के होमपेज पर सार्वजनिक उपयोग के लिए एक नई सुविधा सर्च सीबी प्रदान की गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी कस्टम्स ब्रोकर को उसके नाम या पैन का उपयोग करके खोज सकता है और सीबी का नाम, कार्यालय, संचालन का क्षेत्र और उसकी नवीनतम कार्य स्थिति जैसे बुनियादी विवरण देख सकता है।

- vi. **Status Update in QR Code:** All CB Licenses and Customs passes issued in CBLMS are QR code enabled which provide enhanced security. Earlier, scanning of this QR code used to provide only the scanned copy of issued CB License or Customs Pass. But now, on scanning QR code, real time status information about CB License or Customs pass will also be shown.

क्यूआर कोड में स्टेटस अपडेट: सीबीएलएमएस में जारी सभी सीबी लाइसेंस और कस्टम पास क्यूआर कोड सक्षम हैं जो बड़ी हुई सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहले, इस क्यूआर कोड को स्कैन करने पर केवल जारी किए गए सीबी लाइसेंस या कस्टम पास की स्कैन की गई कॉपी ही मिलती थी। लेकिन अब, क्यूआर कोड को स्कैन करने पर, सीबी लाइसेंस या कस्टम पास के बारे में वास्तविक समय की स्थिति की जानकारी भी दिखाई देगी।

- vii. **Notification:** The CBLMS has been enabled with notification features which allows Customs Brokers to receive all relevant notifications related to their applications and offence cases in their CBLMS account. Customs Broker can access their notifications using notifications icon () in top right corner of their CBLMS account page.

अधिसूचना: सीबीएलएमएस को अधिसूचना सुविधाओं के साथ सक्षम किया गया है जो कस्टम ब्रोकर्स को उनके आवेदनों और अपराध मामलों से संबंधित सभी प्रासंगिक अधिसूचनाएं उनके सीबीएलएमएस खाते में प्राप्त करने की अनुमति देता है। कस्टम ब्रोकर अपने सीबीएलएमएस खाता पृष्ठ के ऊपरी दाएँ कोने में अधिसूचना आइकन () का उपयोग करके अपनी अधिसूचनाओं तक पहुँच सकते हैं।

- viii. **Account lock out:** To safeguard users account from hackers, an additional account lock-out feature during login has been added in CBLMS. If user enters incorrect password consecutively for five times, then system will lock the user's account. Locked account can be unlocked only by the Nodal Officer or System Admin.

अकाउंट लॉक आउट: यूजर के अकाउंट को हैकर्स से बचाने के लिए, CBLMS में लॉगिन के दौरान अकाउंट लॉक-आउट की अतिरिक्त सुविधा जोड़ी गई है। अगर यूजर लगातार पांच बार गलत पासवर्ड डालता है, तो सिस्टम यूजर के अकाउंट को लॉक कर देगा। लॉक किए गए अकाउंट को केवल नोडल ऑफिसर या सिस्टम एडमिन ही अनलॉक कर सकता है।

5. Detailed user manuals for aforementioned applications will be available under "Knowledge Centre" Tab in the CBLMS.

उपर्युक्त अनुप्रयोगों के लिए विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल सीबीएलएमएस में "ज्ञान केंद्र" टैब के अंतर्गत उपलब्ध होंगे।

Yours sincerely/ सादर

(Sugriva Meena/ सुग्रीव मीना)

Commissioner/ आयुक्त

Customs Commissionerate (Preventive), Jodhpur (Hqrs. Jaipur)/ सीमा शुल्क
आयुक्तालय (निवारक), जोधपुर (मुख्यालय जयपुर)

Copy to/प्रति:-

1. The Chief Commissioner of Customs, Customs(Prev.) Zone, New Delhi मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क, सीमा शुल्क (निवारक)जोन, नई दिल्ली.
2. All Custom Brokers working in Jodhpur (Prev.) Customs जोधपुर (निवारक) सीमा शुल्क में कार्यरत सभी कस्टम ब्रोकर्स.
3. President, Rajasthan Customs House Association/ राजस्थान कस्टम हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष
4. The Dy. Commissioner (Systems) for uploading on the website उपायुक्त (सिस्टम) को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. Notice Board/ सूचना पट्टा